विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवाओं के अन्तर्गत निम्न चार विकल्प उपलब्ध हैं –

(क) राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन (N.S.O.) (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.)

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) (घ) रोवरिंग (Rovering)

विद्यार्थी इन चारों में से कोई एक विकल्प चुनकर उसमें सम्मिलित हो सकता है। इन चारों राष्ट्रीय सेवाओं के संचालन के लिए विभिन्न प्रभारी हैं, जिनसे विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(क) राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन (N.S.O.) : इसके अन्तर्गत निम्नलिखित खेल वर्ग हैं –

1. क्रिकेट 2. फुटबॉल 3. दौड़-कूद 4. हॉकी

5. वॉलीबाल 6. बास्केटबॉल 7. हैण्डबॉल

इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को इन सात वर्गों में से एक को चुनना होगा। अपनी रुचि के खेल की व्यावहारिक परीक्षा देनी होगी और उसमें उत्तीर्ण होने पर ही इस संगठन में नामांकन होगा। इसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए सचिव विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.) : इसमें सैनिक प्रशिक्षण, महत्वपूर्ण स्थानों पर ग्रीष्मकालीन शिविर, पर्वतारोहण के अवसर प्राप्त होते हैं। इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों में अनुशासन एवं सेवा की भावना के साथ-साथ शारीरिक क्षमता बढ़ती है। इस योजना के अन्तर्गत थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना में से एक शाखा को चुना जा सकता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर में भर्ती होने वाले छात्र के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुसार स्वास्थ्य होना चाहिए।

राष्ट्रीय कैडेट कोर की इच्छित शाखा में प्रवेश के आवेदकों में से चयन किया जाएगा। चयन तिथि एवं समय की सूचना केडेट कोर अधिकारियों द्वारा यथासमय घोषित की जाएगी। जो छात्र एन.सी.सी. की इच्छित शाखा में चयनित नहीं होते हैं उन्हें अन्य निर्दिष्ट शाखा में प्रवेश लेने का विकल्प होगा।

उपस्थिति (Attendance)

एन.सी.सी. कैडेटों के लिए 75 प्रतिशत परेडों में उपस्थित रहना अनिवार्य है। निर्दिष्ट शिविरों में भी उन्हें भाग लेना होगा। यूनिट द्वारा निर्धारित तिथि पर गणवेश एवं अन्य सामान दिया व लिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी बिना गणवेश एवं सामान लौटाए सत्र के मध्य में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय छोड़ देता है तो उसका नाम आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस को प्रेषित कर दिया जाएगा।

शाखाओं (Wings) में अन्तर-परिवर्तन की अनुमति नहीं है। एन.सी.सी. के तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण कुछ चयनित छात्रों को ही दिया जाएगा।

प्रमाण पत्र परीक्षाएँ (Certificate Examinations)

प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के अन्त में वे प्रशिक्षणार्थी 'बी' प्रमाण पत्र के पात्र होंगे जिन्होंने एक शिविर में भाग लिया हो तथा प्रत्येक सत्र में जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत हो।

प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के अन्त में 'सी' प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए वे ही केडेट पात्र होंगे जिन्होंने 'बी' प्रमाण पत्र उत्तीर्ण किया हो, दो शिविरों में भाग लिया हो तथा प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण की हो।

एन.सी.सी. के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं में कमीशन

सशस्त्र सेनाओं में कमीशन के लिए आवेदन-पत्र, केडेट अपने एन.सी.सी. यूनिट के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन पत्र स्वीकृत होने पर जिस सेवा के लिए उन्होंने आवेदन किया है उसकी चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा। कमीशन के प्रत्याशियों की योग्यता का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है –

थल सेना

1. वाणिज्य/कला/विज्ञान स्नातक
2. 19 से 22 वर्ष की आयु
3. एन.सी.सी. का 'सी' परीक्षा (थल सेना) का प्रमाण पत्र धारक

जल सेना

1. भौतिक विज्ञान एवं गणित विषय का स्नातक अथवा अभियांत्रिक उपाधि धारक
2. 19 से 22 वर्ष की आयु
3. एन.सी.सी. का 'सी' परीक्षा (जल सेना) का प्रमाण पत्र धारक

वायु सेना (सामान्य सेवाएँ)

1. वाणिज्य/कला/विज्ञान स्नातक
2. 19 से 22 वर्ष की आयु
3. एन.सी.सी. का 'सी' परीक्षा (वायु शाखा) छोड़ने के एक वर्ष भीतर प्रस्तुत हो।

निस्सारण (Discharge)

छात्रों को एन.सी.सी. छोड़ने के एक वर्ष के भीतर अपने युनिट कमाण्डर से निस्सारण प्रमाण-पत्र (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट) ले लेना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपने एन.सी.सी. अफसर के माध्यम से आवेदन भेजना चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) : इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय के युवा वर्ग की शक्ति को राष्ट्रीय सेवा प्रयोजनाओं में लगाना है। सामान्यतया इसका लक्ष्य नेतृत्व गुणों का विकास करना एवं श्रम की गरिमा का पोषण करना है। कल्याणकारी गतिविधियों के तीन क्षेत्रों, यथा ग्रामीण, नगरीय एवं संस्थागत की उन्नति के लिए यह योजना सामूहिक जीवन का प्रशिक्षण देती है।

इसके अतिरिक्त एन.एस.एस. द्वारा ग्रामीण विकास के लिए एक वर्ष में दो अनिवार्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। कुछ विद्यार्थी प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय शिविरों में भी भेजे जाते हैं। इस योजना में सम्मिलित होने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष 65 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करनी होगी।

विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में एन.एस.एस. की इकाइयाँ इस प्रकार हैं:-

विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय	2 इकाइयाँ
विश्वविद्यालय सा. वि. एवं मा. महाविद्यालय	2 इकाइयाँ
विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबंध महाविद्यालय	2 इकाइयाँ
विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय	1 इकाई
प्रबन्ध अध्ययन संकाय	1 इकाई

प्रबन्ध अध्ययन संकाय को छोडकर प्रत्येक इकाई 100 विद्यार्थियों पर गठित की जाती है।

(घ) रोवरिंग (Rovering) : विश्वविद्यालय स्तर पर स्काउटिंग की गतिविधियों का संचालन रोवर्स के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक छात्र, जिसने विद्यालय स्तर पर स्काउटिंग का अपेक्षित अनुभव ग्रहण किया है, विश्वविद्यालय स्तर पर रोवर के रूप में पंजीकृत हो सकता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर रोवर कार्यक्रमों में योग्यतानुसार भाग ले सकता है। निम्न कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किए जाते हैं -

1. साक्षरता अभियान, सामाजिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा
2. औषधालय सेवा
3. गन्दी बस्तियों की सफाई
4. ग्रामीण विकास
5. जरूरतमंदों की सहायता
6. राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम
7. परिसर विकास
8. प्रकल्प निदेशकों द्वारा निर्धारित अन्य कार्य।